

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6-7, जाब्ता दीवान)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा
पीठासीन अधिकारी :- अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 351/2021

सुधीर कुमार उम्र वर्ष पुत्र पतराम, जाति बिश्नोई, साकिन लखासर, तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ, (राज)

वादी

बनाम

1. पतराम पुत्र शिवराज, जाति बिश्नोई, साकिन लखासर, तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ।
2. संजय पुत्र पतराम, जाति बिश्नोई, साकिन लखासर, तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ।
3. सवीना पुत्री पतराम, जाति बिश्नोई, साकिन लखासर, तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ
(नाम कलमजन)
4. सारिका पुत्री पतराम पत्नी महावीरप्रसाद बिश्नोई, जाति बिश्नोई, साकिन लुणेवाला, तहसील रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर।
5. सुबोध पुत्र पतराम, जाति बिश्नोई, साकिन लखासर, तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा।
7. उप पंजीयक उपतहसीलदार गोलूवाला।

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88,188 आर.टी.ए. बाबत घोषणा
निर्णय

दिनांक :- 14/01/25


वादी की ओर से श्री अशोक कुमार चालिया अधिवक्ता, प्रतिवादीगण संख्या 1,2,4 की ओर से श्री सुरेन्द्र सुथार प्रतिवादी संख्या 5 की ओर से श्री शोलेन्द्र बिश्नोई अधिवक्ता इस वाद मे आज दिनांक को **अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.** उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि, उभय पक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 188 आरटीए के अन्तर्गत निम्नानुसार घोषणा की जाती है कि - तहसील पीलीबंगा के चक 10 एलकेएस के तत्कालीन खाता स. 49/50 व वर्तमान खाता स. 9 के प.न. 8 /281 (1) के किला न. 8 ता 25, प.न. 7/281 (2) के किला न. 11, 12, 16 ता 25, प.न. 6/281 (3) के किला न. 20 ता 24, 25/1/0.076, 25/2/0.013 व प.न. 9/282(9) के किला न. 6/1/0.228, 6/2/0.025, 7, 8/1/0.228 एवं प.न. 9/283 (11) के किला न. 1/1/0.228, 1/2/0.025, 2/1/0.228, 2/2/0.025, 3/1/0.228, 3/2/0.025, 4/1/0.228, 4/2/0.025, 5/1/0.202, 5/2/0.051, 6/1/0.228, 6/2/0.025 ता 14, 15/1/0.228, 15/2/0.025, 16/1/0.228, 16/2/0.025, 17 ता 24, 25/1/0.228, 25/2/0.025 सभी पत्थरों की कुल 14.179 हैक्. खातेदारी नहरी मय गैरमुमकिन खाला रास्ता कृषि में से प्रतिवादी स.1 पतराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा 7089/14179 दर्ज हिस्सा में से प्रतिवादी स.1/द्वितीय पक्ष का नाम कलमजन कर वादी/प्रथम पक्ष सुधीर कुमार

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

को 3.392 हैक., प्रतिवादी स.2 संजय/द्वितीय पक्ष को 3.392 हैक. व प्रतिवादी स. 5 सुबोध/द्वितीय पक्ष को 0.305 हैक. कृषि भूमि मुताबिक राजीनामा प्राप्त हुई है और मुताबिक राजीनामा अनुसार वादी/प्रथम पक्ष व प्रतिवादी स. 2, 5/द्वितीय पक्ष खातेदारी घोषणा प्राप्त करने के अधिकारी है व इसी खातेदार काश्तकार घोषित कियाजाते है।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होने तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होने, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होने की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होने तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न होने की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसे किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक ...14/01/25... को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(अमिता मिश्रा, आन.प्र.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पट्टन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा